राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर विस्तृत विज्ञापन

विज्ञापन संख्या :12/परीक्षा/व.अ./TSP/संस्कृत शिक्षा/EP-I/2017–18 **दिनांक : 29.03.2018**

आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के अनुसूचित/विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए **वरिष्ठ आध्यापक** के निम्नलिखित विषय पदों पर भर्ती हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। **विशेष नोट :– इस विज्ञापन के तहत् राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। आवेदित अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।**

पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है)एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	विषय का नाम	कुल पदों की संख्या	सामान्य				आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)												
							अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग
			सा.	महिला			सा.	महिला			सा.	महिला			सा.	महिला			
				सा.	वि.	प.		सा.	वि.	प.		सा.	वि.	प.		सा.	वि.	प.	
1	संस्कृत	17	7	3	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-
Horizontal Reservation – विशेष योग्यजन –1 B/LV , भूतपूर्व सैनिक – 2 पद																			
2	हिन्दी	04	03	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Horizontal Reservation – विशेष योग्यजन–1 B/LV																			
3	अंग्रेजी	07	03	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Horizontal Reservation – विशेष योग्यजन–1 B/LV																			
4	गणित	10	5	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Horizontal Reservation – विशेष योग्यजन –1 LD/CP , भूतपूर्व सैनिक – 1 पद																			
5	विज्ञान	08	4	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Horizontal Reservation – विशेष योग्यजन–1 LD/CP , भूतपूर्व सैनिक – 1 पद																			
6	सामाजिक विज्ञान	04	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Horizontal Reservation – विशेष योग्यजन–1 B/LV																			

(i) **शैक्षणिक योग्यता (संस्कृत विषय के लिए) :**

Shastri or an equivalent traditional Sanskrit examination with Sanskrit medium, and Shiksha Shastri/Degree or Diploma in Education recognized by National Council for Teacher Education.

शैक्षणिक योग्यता (हिन्दी, अंग्रेजी व गणित विषय के लिए) :

Graduate or equivalent examination with the concerned subject as optional subject, andDegree or Diploma in Education recognized by National Council for Teacher Education.

शैक्षणिक योग्यता (विज्ञान विषय के लिए) :

Graduate or equivalent examination with at least two of the following subjects as optional subject: Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro-biology, Bio-technology and Bio-chemistry, and Degree or Diploma in Education recognized by National Council for Teacher Education.

शैक्षणिक योग्यता (सामाजिक विज्ञान विषय के लिए) :

Graduate or equivalent examination with at least two of the following subjects as optional subject: History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy, and Degree or Diploma in Education recognized by National Council for Teacher Education.

(ii) **(उक्त सभी विषयों के लिए) :** Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

आयु सीमा–दिनांक 01.07.2018 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।	**रनिंग पे–बैण्ड**–पे–मैट्रिक्स लेवल L-11

आयु सीमा में छूट के प्रावधान			
क्र.सं.	**अभ्यर्थियों का वर्ग**		**अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)**
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा/अति पिछड़ावर्गके पुरूष एंव सामान्य वर्ग की महिला		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
4.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान	
1	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर substantiveतौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
2	ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
3	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
4	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।
5	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
6	1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
7	राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध में substantiveहैसीयत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8	रिजर्विस्टों अर्थात् रक्षा सेवा कार्मिकों जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया था के लिए उपर्युक्त उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
9	An Ex-serviceman must not have attained the age of 50 years on 01.01. 2019. Provided that in the case of holders of Military Cross/Vir Chakra or any other higher distinction, the upper age limit shall be relaxable by two Years.

नोट–

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

(3)उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2011 या इससे पूर्व में विज्ञापित किये गये थे। *तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था।* अतः जो अभ्यर्थी **दिनांक 01.07.2018** को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **तीन वर्ष की छूट** देय होगी।

अन्य विवरण	
अनेक पदों के लिए आवेदन	यदि कोई अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक के एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करता है तो उसे प्रत्येक विषय हेतु परीक्षा शुल्क पृथक् से जमा करवाना होगा और प्रत्येक विषय के लिए पृथक्–पृथक् आवेदन भी करना होगा, किन्तु दूसरा आवेदन पत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर Yes क्लिक करें और तदुपरान्त उसके नीचे दिखने वाले खाली स्थान में आवश्यक रूप से प्रथम आवेदन–पत्र का **आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID)** अंकित करें। आयोग द्वारा उक्त सभी पदों के लिए प्रथम प्रश्न–पत्र की एक ही परीक्षा कराई जा सकती है और ऐसी स्थिति में केवल द्वितीय प्रश्न–पत्र हेतु उन्हें पृथक्–पृथक् परीक्षा देनी पड़ेगी। **यदि कोई अभ्यर्थी दूसरा**

	आवेदन पत्र भरते समय अपने प्रथम आवेदन का क्रमांक नहीं भरता है तो वह दूसरे पद की परीक्षा के लिए निरस्त (Rejected) कर दिया जायेगा।
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **लिखित परीक्षा से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।**विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा राज0 राज्य के सभी जिला/संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित किये जाने संभावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् यथाशीघ्र घोषित कर दी जायेगी। परीक्षा स्थान/परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।
आवेदन अवधि	दिनांक23—04—2018से दिनांक12—05—2018 रात्रि 12—00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	1. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan/gov.in/applyonline से एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लोगिन कर **RecruitmentPortal** सर्विस का चयन करना होगा। 2. **RecruitmentPortal** पर आधार आधारित **One Time Registration (OTR)** कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। 3. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर **RecruitmentPortal** पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा। 4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें। 5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। 6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित **Transaction** का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।
ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधनदिनांक13—05—2018 से दिनांक19—05—2018 रात्रि 12—00 बजेतक।

विशेष नोट :—

(1) अभ्यर्थी **Online Application Form** में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना **SMS** के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(2) आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 07 दिवस की ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

Scheme and Syllabus of competitive examination for the post of Senior Teacher

Paper - I

For competitive examination for the post of Senior Teacher:

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them.
   (i) Geographical, Historical, Cultural and general Knowledge of Rajasthan. 80 marks
   (ii) Current Affairs of Rajasthan 20 marks
   (iii) General knowledge of world and India. 60 marks
   (iv) Educational Psychology. 40 marks
   Total 200 marks
5. The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

Paper - II

A. For the post of Senior Teacher (Sanskrit):

1. The question paper will carry maximum 300 marks.
2. Duration of question paper will be 2hours 30 minutes.
3. The question paper will carry 150 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them.
   (i) Knowledge of Praveshika and Varistha Upadhyaya standard about relevant subject matter. 180 marks
   (ii) Knowledge of Shastri standard about relevant subject matter. 80 marks
   (iii) Teaching Methods of relevant subject. 40 marks
   Total 300 marks
5. Medium of examination shall be Sanskrit language.
6. The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

B. For the post of Senior Teacher (Other than Sanskrit):

1. The question paper will carry maximum 300 marks.
2. Duration of question paper will be 2 hours 30 minutes.
3. The question paper will carry 150 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them.
   (i) Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter. 180 marks
   (ii) Knowledge of graduate standard about relevant subject matter. 80 marks
   (iii) Teaching Methods of relevant subject. 40 marks
   Total 300 marks
5. The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

विशेष सूचना :—''यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Onlineसंशोधन करसकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।''

अन्य बिन्दु व सूचना :— परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **नवीनतम एवं संशोधितपरीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें।इसके अतिरिक्त समय—समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in**पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.— 0145—2635212 एवं 2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव